

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
Dakhil-Kharij Revision Case No.-06/2025

Vijay Kumar Jha & OthersAppellant

Versus

State of Bihar & Kaushal KumarRespondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.1.2026	प्रस्तुत दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-01/2021 (विजय कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं कौशल कुमार) में दिनांक-18.10.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा-8(2) में अंकित है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्ता/अपर समाहर्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत समाहर्ता/अपर समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष अपील/रिवीजन का प्रावधान निरूपित नहीं है। यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें।  <u>आयुक्त,</u> कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित।  <u>आयुक्त,</u> कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

